न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री नेमा राम आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 161/2022
जीसीएमएस संख्या–2022/277

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1 दुर्गेश देथा पुत्री जितेन्द्रसिंह देथा चारण निवासी बोरून्दा तहसील पीपाड़ शहर	बनाम	1 पुष्पादेवी पत्नी गोविन्द देथा जाति चारण निवासी बोरून्दा तह. पीपाड़शहर 2 भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता

1. श्री अब्दुल सलीम खान–प्रार्थीया
2. श्री ओमप्रकाश कच्छावाह–अप्रार्थीया

निर्णय

दिनांकः–23.09.2025

प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया है जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम बोरून्दा पटवार हल्का बोरुन्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बोरून्दा तहसील पीपाड शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीया की खातेदारीसुद्वा कब्जासुदा कृषि भूमि खाता संख्या नया 1783 व खाता संख्या पुराना 1424 के खसरा संख्या 1120/3 रकबा 0.3317 हैक्टेयर किस्म बारानी प्रथम भूमि आई हुई है, सबूत में नकल जमाबंदी सम्वत् 2075 से 2078 की प्रमाणित प्रति सलग्न पेश है व कम्प्यूटर प्रिन्ट नक्शा भी सलग्न पेश है। वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीया का अभिलिखित खातेदार काश्तकार की हैसियत से कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग बिना किसी रोक टोक के निरबाद रूप से चली आ रही है प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी का मात्र कृषि हेतु ही उपयोग उपभोग में लेती आ रही है उक्त कृषि भूमि पर कृषि कार्य कर प्राथी अपना जीवन यापन करती है। वादग्रस्त आराजी के चिपती हुई दक्षिणी तरफ खसरा संख्या 1118 रकबा 1.2944 हैक्टेयर आई हुई है जिस कारण अप्रार्थी संख्या 01 प्रार्थी की कृषि भूमि की सीमा के अन्दर तक काश्त करने का प्रयास करती रहती है जिस बाबत प्रार्थीया द्वारा अनेको बार उसे मना किया गया परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 निश्चित सीमा न होने को आधार बताकर जबरदस्ती प्रार्थीया के हक हिस्से की कृषि भूमि में कब्जा काश्त होना चाहती हैं। साथ ही प्रार्थीया को पूर्णतया अंदेशा है कि अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे में प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि भी आ रखी है क्योंकि प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान अपने स्तर पर करने पर प्रार्थीया की भूमि मौके पर राजस्व रेकर्ड से मिलान करने पर कम पड़ रही हैं प्रार्थीया रेवेन्यू रेकर्ड के अनुसार नाप चौक करना नहीं जानती लेकिन प्रार्थीया अपनी वादग्रस्त कृषि भूमि पर आधीपत्य के साथ कब्जा रखना आवश्यक समझती हैं इसलिए प्रार्थीया से अपने राजस्व रेकर्ड में दर्ज करावें व नक्शे के अनुसार नाप चौक करवाना आवश्यक समझती हैं व प्रार्थीया को नाप चौक करवाने की आवश्यकती भी हैं। प्रार्थीया वादग्रस्त आराजी की सुरक्षा हेतु वादग्रस्त आराजी के चारो तरफ मुटाम कायम करवाकर सभी सीमाओ दीवार / तारबंदी करवाना चाहती है वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1120/3 का नाप चोक किया जाकर सीमा कायम की जाकर पत्थरगढी / मुण्डागढी करवाई जानी अत्यन्त आवश्यक व लाजमी है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। वादग्रस्त खसरे के चिपते ही उतरी दिशा में खसरा संख्या 1120 कटाण रास्ता आया हुआ है इसलिए वादग्रस्त खसरे की सीमाओं को लेकर भी किसी प्रकार का विवाद प्रार्थीया/अप्रार्थी संख्या 01 एवं अन्य व्यक्तियों एव सरकारी कर्मचारियों के बीच में विवाद उत्पन्न नहीं हो इसलिए अप्रार्थी सख्या 02 को पक्षकार बनाया गया है ताकि प्रार्थीया द्वारा दिवार व तारबंदी के दौरान रास्ते पर भी किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं हो। प्रार्थीया नियमानुसार पत्थरगढी हेतु मुण्डे उपलब्ध करवा देगी एवम मोमीट्रेस

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

नक्शा उपलब्ध करवा देगी तथा नियमानुसार कमिशनर फीस अदा कर देगी। प्रार्थीया भूमिधारी व रेकर्ड धारक होने से आवश्यक पक्षकार संयोजित किया गया है। नजदीक भविष्य में प्रार्थीया कृषि करते वक्त खेत के पडोसियान द्वारा विवाद करने की संभावना है इसलिए प्रार्थना पत्र का कारण भविष्य की संभावना को देखते हुए माना जाना सही है प्रार्थना पत्र अन्दर म्याद पेश है। वादग्रस्त भूमि राजस्व ग्राम बोरून्दा में स्थित है। अत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीया को आदेश दिया जावे की ग्राम बोरुन्दा में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 1120/3 की भूमि को भी भूमि का नाप चौक किया जाकर आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद सहित पत्थरगढी / मुण्डागढी करवाने का आदेश तहसीलदार पीपाड़ शहर को सादर फरमावे अन्य अनुतोष जो हित प्रार्थीया हो प्रार्थीया के पक्ष में अता फरमावे ।

हमने प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये जिनमें से अप्रार्थी संख्या 01 का नोटिस बाद तामिल प्राप्त एवं अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री ओमप्रकाश कच्छावाह ने वकालतनामा मय जवाब पेश किया जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या एक की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब इस प्रकार से है खसरा नम्बर 1120/3 गे.मु. रास्ता की भूमि है। मूल खसरा नम्बर 1120 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा किस्म गै मु रास्ता की भूमि है जो खतौनी बन्दोवस्त एवं राजस्व ट्रेस नक्शे से स्पष्ट है। कानूनन गै.मु. रास्ता की भूमि का आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता है। राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती करके बिना कोई आवंटन / नियमन के खसरा नम्बर 1120 व 1176 की भूमि में कमशः 02 बीघा 01 बिस्वा, 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि तेजदान पुत्र जुगतदान ने गलत तरीके से अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दी है जिसकी कानून में कोई ऐहमियत नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हर सूरत में खारिज फरमाने योग्य है। प्रार्थीया का व तेजदान का गै.मु. रास्ता की भूमि पर कब्जाकाश्त व उपयोग उपभोग नहीं रहा है। खसरा नम्बर 1120 गै.मु. रास्ता की भूमि ग्राम पंचायत बोरून्दा के मालिकाना हक की सार्वजनिक भूमि है। प्रार्थीया ने ग्राम पंचायत बोरुन्दा को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है इस बिनाय पर भी प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य है। मूल खसरा नम्बर 1120 गै मु. रास्ता से होकर अप्रार्थीया अपने खेत खसरा नम्बर 1118 पर आवागमन करती आई है. तथाकथित वादग्रस्त भूमि रास्ते के रूप में अप्रार्थी संख्या एक व अन्य ग्रामवासी आवागमन हेतु उपयोग व उपभोग कर रहे है। प्रार्थीया का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या एक के कब्जे में प्रार्थीया के खातेदारी की कृषि भूमि भी आ रखी है क्योंकि प्रार्थीया द्वारा अपनी भूमि का सीमाज्ञान अपने स्तर पर करने पर प्रार्थीया की भूमि मौके राजस्व रेकर्ड से मिलान करने पर कम पड़ रही है। प्रार्थीया के उक्त कथन से यह साबित है कि प्रार्थीया का तथाकथित वादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थीया को कानूनन बेदखली का वाद पेश करना चाहिए था। पत्थरगढी की आड़ में कब्जा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तथाकथित वादग्रस्त भूमि रास्ते की भूमि है जिस पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा नहीं रहा है इसलिए प्रार्थीया रास्ते की भूमि की पत्थरगढी करवाने की कतई अधिकारी नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हर सूरत में खारिज फरमाया जावें। वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा ही नहीं है तो प्रार्थीया पत्थरगढी करवाने की कतई अधिकारी नहीं है। तथाकथित वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक गै.मु. रास्ता की भूमि होने से प्रार्थीया को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है इसलिए प्रार्थीया पत्थरगढी करवाने की कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया के कथनानुसार खसरा नम्बर 1120 गै.मु. कट्टाणी रास्ता की भूमि है। कट्टाणी रास्ते की भूमि का आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता है। तेजदान ने राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती करके राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज करवाया है जो इन्द्राज काबिल दुरूस्त फरमाने योग्य है। मूल खसरा नम्बर 1120 के किसी भी भाग पर प्रार्थीया को दीवार व तारबन्दी करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हर सूरत में काबिल खारिज फरमाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि सार्वजनिक गै.मु. रास्ता की भूमि होने से तथा रास्ते की भूमि पर कब्जा नहीं होने से प्रार्थीया पत्थरगढी करवाने की कतई अधिकारी नहीं है। प्रार्थीया ने गै मु रास्ता की भूमि के मालिक ग्राम पंचायत बोरुन्दा को पक्षकार ही संयोजित नहीं किया है इस बिनाय पर भी प्रार्थीया का प्रार्थनापत्र काबिल खारिज फरमाने योग्य है। प्रार्थीया का तथाकथित वादग्रस्त भूमि पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है तथाकथित वादग्रस्त भूमि गै.मु. रास्ता की भूमि है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

वकील अप्रार्थीया ने काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके अनुसार ग्राम बोरून्दा की राजस्व सीमा मे खसरा नम्बर 1120/3 क्षेत्रफल 0.3317 हैक्टयेर व खसरा नम्बर 1176/1 क्षेत्रफल 0.1861 हैक्टयेर भूमि आई हुई है। खसरा नम्बर 1120 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1176 रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा भूमि गै मु रास्ते की भूमि रही है खतौनी बन्दोबस्त मे उक्त भूमिया गै.मु. रास्ते के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा नक्शे में गै.मु. रास्ता तरमीम किया हुआ है। कानूनन सार्वजनिक हितार्थ की गै.मु. रास्ते की भूमियों का आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता है। तेजदान पुत्र जुगतदान ने राजस्व अधिकारियो से मिलीभगती करके वादग्रस्त भूमियां अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में गलत तरीके से इन्द्राज करवाई है इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरुस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमियां ग्राम पंचायत के खाते में दर्ज की जायें तथा वादग्रस्त भूमियों की किस्म परिवर्तन की जाकर गै मु. रास्ता की जावें। प्रार्थीया के पति ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में रिट पीटिशन नम्बर 11011/2022 गोविन्द देथा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान व अन्य पेश की जिसमें दिनांक 05.08.2022 को आदेश पारित हो रखा है आदेश की पालना में प्रार्थीया के पति ने पी.एल पी. सी प्रकोष्ठ जिला कलेक्टर जोधपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रखा है। प्रथमदृष्टया मामला रेकर्ड दुरूस्ती का है क्योकि गै मु. कट्टाणी रास्ते की भूमियों का आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता है। रेकर्ड में कॉट–छॉट व हेरा–फैरी करके वादग्रस्त भूमि तेजदान ने अपने नाम से त्रुटिवश गलत इन्द्राज करवा रखी है इसलिए राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि गै.मु. रास्ते की भूमि दर्ज की जावे। अतः जवाब प्रार्थनापत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान् न्यायालय हाजा से विनम्र निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र मिथ्या बनावटी तथ्यों पर आधारित होने से मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावें एवं अप्रार्थी संख्या एक द्वारा पेश काउन्टर प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि का राजस्व रेकर्ड दुरूस्त फरमाया जाकर वादग्रस्त भूमि गैमु रास्ते में दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेशित फरमावे।

वकील प्रार्थीया ने जवाब काउण्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण संख्या एक ने खसरा संख्या 1120/3 व खसरा संख्या 1176/1 को वादग्रस्त भूमि बताकर काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है लेकिन अप्रार्थी संख्या एक ने इस प्रार्थना पत्र में यह कही भी उल्लेख नहीं किया है कि यह प्रार्थना पत्र उन्होंने किस अधिनियम के किस धारा या प्रोविजन के तहत काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा वादग्रस्त भूमि का विवरण इस पद मे उल्लेख करते वक्त वादग्रस्त भूमि की किस्म का उल्लेख अप्रार्थी संख्या एक ने जान बूझकर नहीं किया है इससे स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या एक न्यायालय से वास्तविक तथ्य छुपा रहा हैं इसलिए कानून के प्रावधानो के विपरित जाकर पेश किया गया काउण्टर प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसे प्रार्थी दुर्गेश देथा खण्डन कर अस्वीकार करती है। अप्रार्थी संख्या एक ने मनगढ़ंत तरीके से राजस्व रेकर्ड एवं वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए कथित किया है क्योंकि वास्तव में खसरा संख्या 1120 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा व खसरा संख्या 1176 रकबा 28 बीघा 03 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि बताया है जबकि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र खसरा संख्या 1120/3 रकबा 0.3317 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय की भूमि पर सीमाज्ञान करवाया जाकर उनकी पत्थरगढ़ी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है ऐसी स्थिति में पत्थरगढ़ी करवाने के प्रार्थना पत्र मे काउण्टर प्रार्थना पत्र बिना किसी कानूनी प्रावधानो के प्रस्तुत करना कतई विधि सम्वत् नहीं है प्रार्थना पत्र मे वादग्रस्त खसरे के अलावा भूमि का वर्णन कर अप्रार्थी संख्या एक न्यायालय का ध्यान विचलित करने की कुचेष्ठा कर रहा है वास्तव में खसरा संख्या 1120/3 रकबा 0.3317 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी व सीमाज्ञान करवाने से अप्रार्थी संख्या एक को क्या एतराज हो सकता उन ऐतराज करने की बजाय न्यायालय के समक्ष निराधार तथ्य प्रस्तुत कर कथित किया है जो कि किसी भी कानूनी प्रावधन के तहत नहीं है ऐसी स्थिति में प्रार्थीया दुर्गेश देथा अस्वीकार करती है। प्रार्थीया व उसके पूर्व खातेदारान ने खसरा संख्या 1120/3 व खसरा संख्या 1176/1 की भूमि का आवंटन / नियमन कतई गैर कानूनी रूप से नहीं करवाया है बल्कि तत्कालीन व्यवस्था तथा नियमो के अनुसार आवंटनकर्ता व नियमनकर्ता को प्रदत शक्तियो के तहत नियमन अनुसार आवेदन तथा जांच पड़ताल के पश्चात तेजदान के नाम से तत्काली सक्षम अधिकारी द्वारा नियमन के अनुसार आवंटन की गई थी ऐसी स्थिति में राजस्व अधिकारियो से मिली भगती कर वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

भूमियां तेजदान के नाम से गलत रूप से इन्द्राज करवाने के आक्षेप निहायत ही झूठे मनगढ़त तथा प्रार्थीया व अप्रार्थी के पति गोविन्द देथा के बीच सिविल फोजदारी व रेवन्यू न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की खुन्नस निकालने की गरज से कथित किया है जिसे प्रार्थीया दुर्गेश देथा अस्वीकार करती है तथा यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि तेजदान जी के नाम से आवंटनसुदा भूमि को चुनौती आवंटन के करीब 52 वर्ष पश्चात उनके वारिसान को पक्षकार बनाये बगैर काउण्टर प्रार्थना पत्र बिना किसी कानूनी प्रावधानो के प्रस्तुत किया जाना विधि सम्वत् नहीं है । अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीया किसे सम्बोधित किया है स्पष्ट नहीं किया ऐसी स्थिति मे न्यायालय प्रार्थीया किसको समझे न्यायालय के समक्ष दुविधा जनक प्रश्न उत्पन्न होता है प्रार्थना पत्र धारा 111. 128 भू राजस्व अधिनियम की प्रार्थीया को दुर्गेश देथा है दुर्गेश देथा के पति ने राजस्थान उच्च न्यायालय मे कोई रिट पिटिशन पेश नहीं की है रही बात गोविन्द देथा की उसके बारे मे प्रार्थीया दुर्गेश देथा को कोई जानकारी नहीं है अगर पेश की भी हो तो भी दुर्गेश देथा को अपने खातेदारीसुदा कब्जासुदा कृषि भूमि का सीमज्ञान व पत्थरगढ़ी करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है जिसे अप्रार्थी संख्या एक रोकने पर आमादा हैं जबकि उन्हें ऐसा करने कतई कोई अधिकार नहीं है अगर किसी रिट मे कोई भी आदेश हो उससे प्रार्थीया के अपने खातेदारीसुदा खेत मे पत्थरगढ़ी करवाने से नहीं रोका जा सकता। यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राजस्थान उच्च न्यायालय मे रिट मे क्या आदेश पारित किये उसका उल्लेख इस पद में नहीं किया न्यायालय में वास्तविकता छुपाई जा रही है तथा गोविन्ददेथा ने जिला कलेक्टर जोधपुर से अपने प्रार्थना पत्र में क्या अनुतोष चाहा है उसका उल्लेख भी इस पद में नहीं किया है इससे स्पष्ट हो जाता है कि अप्रार्थी संख्या एक काउण्टर प्रार्थना पत्र के जरिये प्रार्थीया दुर्गेश देथा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111. 128 भू राजस्व अधिनियम के मूल विषय से न्यायालय के ध्यान विचलित करने की बदनियती से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार योग्य नहीं है इस पद के सभी तथ्य वास्तविक्ता से परे होने के कारण प्रार्थीया दुर्गेशदेथा उक्त अनुसार खण्डन कर अस्वीकार करती हैं। अप्रार्थी संख्या एक ने तेजदान जी के पक्ष मे आवंटन / नियमन को गलत बताकर गैर मुमकिन रास्ते की भूमि का रेकर्ड दुरूस्ती का मामला बताया है जबकि काउण्टर प्रार्थना पत्र किस धारा के तहत प्रस्तुत किया है उल्लेख नहीं किया हैं अगर किसी रेकर्ड की दुरूस्ती करवानी है तो उसके लिए रेकर्ड दुरूस्ती का अलग से अप्रार्थी संख्या एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती है सीमज्ञान व पत्थरगढ़ी के प्रार्थना पत्र मे रेकर्ड दुरूस्ती का प्रार्थना पत्र सामलाती रूप से नहीं चलाया जा सकता सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन/नियमन को विधि सम्वत तरीके से आवंटन की अपील करके ही निरस्त करवाया जा सकता है ना कि रेकर्ड दुरूस्ती के जरिये सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन / नियमन रद्द नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आज की तारीख मे प्रार्थीया के पक्ष मे जो राजस्व रेकर्ड के अनुसार जमाबंदी, नक्शा व नामांतरण मे भूमि दर्ज है उसे इस प्रार्थना पत्र के जरिये निरस्त नहीं किया जा सकता आवंटन व नामांतरण की कोई अपील अप्रार्थी संख्या एक यानि काउण्टर प्रार्थना पत्र करता ने सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की है इस कारण काउण्टर प्रार्थना पत्र करता का प्रार्थना पत्र पूर्णतया निराधार मनगढत झूठे एवं विधि के विपरीत जाकर प्रस्तुत किया हुआ होने के कारण काउण्टर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है इस कारण पद के सभी तथ्य प्रार्थीया दुर्गेश देथा अस्वीकार करती है। लिहाजा जवाब काउण्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीया दुर्गेश देथा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या एक पुष्पादेवी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर प्रार्थना पत्र मय खर्चे से खारिज फरमाने के सादर आदेश फरमावे।

अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पीपाड़ शहर का नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुआ जिन्होने जवाब प्रस्तुत किया है कि ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर 11203/3 रकबा 0.3317 दुर्गेश देथा पुत्री जितेन्द्र सिंह देथा जाति चारण सा.देह खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त वर्णित खसरे के दक्षिण तरफ ख न 1118 जो अप्रार्थी की खातेदारी भूमि है एवं ख न 1120/3 व 118 की बीच की सीमा को लेकर दोनो पक्षकारो के मध्य विवाद है। ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर 1120/3 का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाई जाती है तो तो कोई आपत्ति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस में निवेदन करते हुए कहा कि ग्राम बोरून्दा के खसरा नम्बर 1120/3रकाब 0.33317 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बारानी प्रथम भूमि का सीमांकन कर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रार्थी के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है एवं प्रार्थी वकील ने यह भी बताया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी की कब्जासुद भूमि है जिस पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थीया अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन करते हुए कहा कि खसरा नम्बर 1120/3 गे.मु. रास्ता की भूमि है। मूल खसरा नम्बर 1120 रकबा 26 बीघा 08 बिस्वा किस्म गै मु रास्ता की भूमि है जो खतौनी बन्दोवस्त एवं राजस्व ट्रेस नक्शे से स्पष्ट है। कानूनन गै.मु. रास्ता की भूमि का आवंटन / नियमन नहीं किया जा सकता है। राजस्व अधिकारियों से मिलीभगती करके बिना कोई आवंटन / नियमन के खसरा नम्बर 1120 व 1176 की भूमि में कमशः 02 बीघा 01 बिस्वा, 01 बीघा 03 बिस्वा भूमि तेजदान पुत्र जुगतदान ने गलत तरीके से अपने नाम से राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करवा दी है जिसकी कानून में कोई ऐहमियत नहीं है। उक्त भूमि पर प्रार्थीया का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र हर सूरत में खारिज फरमाने योग्य है।

हमने पत्रावली व पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का अवलोकन किया। श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय जोधपुर के आदेश कमांक राजस्व/पीएलपीसी–58/2022/1889 दिनांक 19.07.2024 के अनुसार ग्राम बोरून्दा के खसरा संख्या 1120 में नियम विरूद्व रास्ते की भूमि पर किये गये नियमन के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में डी.बी. सिविल रिट पीटिशन नं. 11011/2022 में पारित आदेश दिनांक 05.08.2022 की अनुपालना में ग्राम बोरून्दा के मूल खसरा संख्या 1120 किस्म गै.मु. गोवा जो की भूमि काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित होने से उक्त नियम विरूद्व आवंटन को निरस्त किया गया। प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्याय संगत नहीं है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र न्याय संगत नहीं होने से एवं स्वीकार योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर

निर्णय आज खुले न्यायालय लिखवाया जाकर दिनांक 23/9/2025 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(नेमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर